भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1194
दिनांक 13.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल की गुणवत्ता

1194. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हरियाणा सहित देश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत घरों में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;
(ख) क्या जल जीवन मिशन के तहत घरों में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जा रही है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तावित है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन करवाया है जिसमें जल जीवन मिशन से महिलाओं के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में पता चलता हो; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का क्रियान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस:10500 मानक को अपनाया जाना है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम की घोषणा के बाद से 7.88 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 09.02.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 19.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 11.12 करोड़ (57.36%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जलापूर्ति होने की सूचना

दी गई है। इसके अलावा, हरियाणा राज्य 'हर घर जल राज्य' बन गया है, क्योंकि राज्य के सभी 30.41 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलब्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए सुरक्षित जल स्रोतों जैसे सतही जल स्रोतों अथवा वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों के आधार पर थोक जल अंतरण की पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें।

चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति योजना की आयोजना, इसके कार्यान्वयन और चालू करने में समय लगता है, अतः पूर्णतः एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवधिक आधार पर अर्थात रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए वर्ष में एक बार और बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए वर्ष में दो बार जल गुणवत्ता का परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो वहां उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया जाने वाला जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण कराने तथा पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और देख-रेख में समर्थ बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम – जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 2022-23 के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 45.04 लाख से अधिक जल नमूनों और फील्ड टैस्टिंग किट के माध्यम से 79.68 लाख जल नमूनों का परीक्षण किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और उसे निम्नलिखित लिंक पर भी देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,076 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मामूली दर पर अपने जल नमूनों के परीक्षण के लिए आम जनता हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों अधिमानत: महिलाओं की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें ताकि वे ग्रामीण स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण कर सकें और डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट कर सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अब तक, लगभग 18.18 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(घ) और (ङ): जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यह विभाग एक तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि को प्रदान किए गए नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। इस तरह का अंतिम मूल्यांकन 2021-22 में किया गया था और उसके अनुसार, सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से लगभग 79% परिवारों जिनमें महिला सदस्य पारिवारिक नल जल कनेक्शन की स्थापना से पहले पानी भरकर लाने का श्रम करती थीं, ने नल कनेक्शन लगने के बाद पानी के संग्रह में कठिनाई में कमी की सूचना दी। इसके अलावा, सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से लगभग 26 प्रतिशत ने विद्यालय जाने वाली लड़कियों की उपस्थिति में सुधार की सूचना दी है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 13.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1194 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(09.02.2023 की स्थिति के अनुसार)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख के अनुसार कुल ग्रामीण परिवार (एचएच)	15.08.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
				संख्या	% में
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.18	30.74	65.56	68.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.22	0.23	1.57	70.81
4.	असम	67.23	1.11	29.02	43.17
5.	बिहार	166.30	3.16	158.99	95.61
6.	छत्तीसगढ़	50.08	3.20	19.32	38.58
7.	दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	1.99	2.63	100.00
9.	गुजरात	91.18	65.16	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	17.66	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	16.70	97.74
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.68	5.75	10.63	56.89
13.	झारखंड	61.19	3.45	18.56	30.34
14.	कर्नाटक	101.18	24.51	62.49	61.77
15.	केरल	70.70	16.64	32.52	46.00
16.	लद्दाख	0.43	0.01	0.31	71.82
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	119.90	13.53	56.44	47.07
19.	महाराष्ट्र	146.73	48.44	106.91	72.86
20.	मणिपुर	4.52	0.26	3.43	75.88
21.	मेघालय	6.35	0.05	2.88	45.34
22.	मिजोरम	1.33	0.09	0.99	74.51
23.	नागालैंड	3.66	0.14	2.21	60.29
24.	ओडिशा	88.56	3.11	50.53	57.06
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.26	16.79	34.24	99.96
27.	राजस्थान	107.64	11.74	33.78	31.38
28.	सिक्किम	1.32	0.70	1.04	79.08
29.	तमिलनाडु	125.51	21.76	74.52	59.37
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.42	0.25	4.36	58.71
32.	उत्तर प्रदेश	262.76	5.16	78.27	29.79
33.	उत्तराखंड	14.94	1.30	10.87	72.72
34.	पश्चिम बंगाल	182.72	2.15	55.15	30.18
	कुल	**1,938.84**	**3,23.63**	**1,112.12**	**57.36**

एचएच: परिवार

स्रोत: जेजेएम – आईएमआईएस